



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072026-274897
CG-DL-E-28072026-274897

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3914]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2026/श्रावण 2, 1948

No. 3914]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2026/SHRAVAN 2, 1948

मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2026

का.आ. 4084(अ).— राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 (1987 का 37) की धारा 9 के साथ पठित धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी के प्रोफेसर गुरु प्रसाद सिंह को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बोर्ड में विशेषज्ञ निदेशक के रूप में NDDB एक्ट, 1987 की धारा 8(2)(e) के तहत अधिसूचना की तिथि से दो साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नामित करती है।

[फा. सं. एम-03017/1/2022-एडमिन-4]

संजय कुमार, अवर सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 4.03.1994 की अधिसूचना का. आ. सं. 210 (अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् का. आ. सं. 1-32 (अ) दिनांक 11.3.95, का. आ. सं. 532 (अ) दिनांक 6.6.95, का. आ. सं. 166 (अ) दिनांक 3.3.96, का. आ. सं. 386 (अ) दिनांक 3.6.96, का. आ. सं. 605 (अ) दिनांक 2.9.96,

का. आ. सं. 678 (अ) दिनांक 1.8.96, का. आ. सं. 750 (अ) दिनांक 13.10.97, का. आ. सं. 836 (अ) दिनांक 18.12.97 का. आ. सं. 738 (अ) दिनांक 28.8.98, का. आ. सं. 1000 (अ) दिनांक 26.11.98, का. आ. सं. 156 (अ) दिनांक 10.3.99, का. आ. सं. 755 (अ) दिनांक 18.8.2000, का. आ. सं. 351 (अ) दिनांक 25.4.2001, का. आ. सं. 656 (अ) दिनांक 21.6.2002, का. आ. सं. 1077 (अ) दिनांक 16.9.2003, का. आ. सं. 212 (अ) दिनांक 16.2.2005, का. आ. सं. 826 (अ) दिनांक 29.5.2006, का. आ. सं. 461 (अ) दिनांक 29.3.2007, का. आ. सं. 1738 (अ) दिनांक 10/11.1.2007, का. आ. सं. 1503 (अ) दिनांक 17.6.2008, का. आ. सं. 2658 (अ) दिनांक 10.11.2008, का. आ. सं. 1274 (अ) दिनांक 19.5.2009, का. आ. सं. 2575 (अ) दिनांक 9.10.2009, का. आ. सं. 1233(अ) दिनांक 26.5.2010, का. आ. सं. 168 (अ) दिनांक 24.1.2011, का. आ. सं. 1779 (अ) दिनांक 27.7.2011, का. आ. सं. 97 (अ) दिनांक 14.12.2011, का. आ. सं. 98 (अ) दिनांक 22.12.2011, का. आ. सं. 241 (अ) दिनांक 8.2.2012, का. आ. सं. 992 (अ) दिनांक 27.4.2012, का. आ. सं. 1141 (अ) दिनांक 26.4.2013, का. आ. सं. 1697 (अ) दिनांक 13.6.2013, का. आ. सं. 1341 (अ) दिनांक 15.4.2014, का. आ. सं. 1451 (अ) दिनांक 3.6.2014, का. आ. सं. 3076 (अ) दिनांक 3.12.2014, का. आ. सं. 721 (अ) दिनांक 05.3.2015, का. आ. सं. 722 (अ) दिनांक 05.3.2015, का. आ. सं. 3132 (अ) दिनांक 9.10.2015, का. आ. सं. 1076 (अ) दिनांक 12 मार्च, 2016, का. आ. सं. 1674 (अ) दिनांक 03.05.2016, का. आ. सं. 684 (अ) दिनांक 28.02.2017 का. आ. सं. 1869 (अ) दिनांक 09.06.2017, का. आ. सं. 3774 (अ), दिनांक 27.11.2017, का. आ. सं. 1393 (अ), दिनांक 27.03.2018, का. आ. सं. 5344 (अ), दिनांक 12.10.2018, का. आ. सं. 1043(अ), दिनांक 22.02.2019, का. आ. सं. 1860 (अ), दिनांक 27 मई, 2019, का. आ. सं. 2099 (अ), दिनांक 19 जून, 2019, का. आ. सं. 4352(अ), दिनांक 04 दिसंबर, 2019, का. आ. सं. 1451 (अ), दिनांक 08 मई, 2020 और का. आ. सं. 1165 (अ), दिनांक 10 मार्च, 2021, का. आ. सं. 2673 (अ), दिनांक 02 जुलाई, 2021, का. आ. सं. 3258 (अ) दिनांक 11 अगस्त, 2021, का. आ. सं. 5477(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2021, का. आ. सं. 2650 (अ), दिनांक 9 जून, 2022, का. आ. सं. 957 (अ), दिनांक 28 फरवरी, 2023, का. आ. सं. 4987 (अ), दिनांक 17 नवम्बर, 2023, का. आ. सं. 2705 (अ), दिनांक 11.07.2024 तथा का. आ. सं. 2961 (अ), दिनांक 24.07.2024 के द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2026

S.O. 4084(E).— In exercise of powers conferred by Sub-Section (2) of Section 8 read with Section 9 of the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987), the Central Government hereby nominates Prof. Guru Prasad Singh from Banaras Hindu University, Varanasi as an expert Director on the Board of National Dairy Development Board under section 8(2)(e) of the NDDB Act, 1987 for a period of two years from the date of notification **OR** till further orders whichever is earlier.

[F. No. M-03017/1/2022-Admin-4]

SANJAY KUMAR, Under Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, vide S.O. No.210(E) dated 4-3-1994 and subsequently amended vide S.O.1-32(E) dated 11-3-1995, S.O.532(E) dated 6-6-1995, S.O.166(E) dated 3-3-1996, S.O.386(E) dated 3-6-1996, S.O.605(E) dated 2-9-1996, S.O.678(E) dated 1-8-1996, S.O.750(E) dated 13-10-1997, S.O.836(E) dated 18-12-1997, S.O.738(E) dated 28-8-1998, S.O.1000(E) dated 26-11-1998, S.O.156(E) dated 10-3-1999, S.O. 755(E) dated 18-8-2000, S.O.351(E) dated 25-4-2001,

S.O. 656(E) dated 21-6-2002, S.O.1077(E) dated 16-9-2003, S.O. 212(E) dated 16-2-2005, S.O. 826(E) dated 29-5-2006, S.O. 461(E) dated 29-3-2007, S.O. 1738(E) dated 10/11-10-2007, S.O. 1503(E) dated 17-6-2008, S.O. 2658(E) dated 10-11-2008, S.O. 1274(E) dated 19-5-2009, S.O. 2575(E) dated 9-10-2009, S.O. 1233(E) dated 26-5-2010, S.O. 168(E) dated 24-1-2011, S.O. 1779(E) dated 27-7.2011, S.O. 97(E) dated 14.12.2011, S.O. 98(E) dated 22.12.2011, S.O. 241(E) dated 8-2-2012, S.O. 992(E) dated 27-4-2012, S.O. 1141(E) dated 26-4-2013 and S.O. 1697(E) dated 13-6-2013, S.O.1341(E) dated 15-4-2014, S.O. 1451(E) dated 3-6-2014, S.O.No.3076(E) dated 3-12-2014, S.O. 721(E) dated 5-3-2015, S.O.No.722(E) dated 5-3-2015, S.O.No.3132(E) dated 9-10- 2015, S.O. No 1076 (E)) dated 12-03-2016, S.O. No 1674 (E) dated 03-05- 2016, S.O.No.684(E) dated 28.02.2017, S.O.No.1869(E) dated 09.06.2017, S.O.No.3774(E) dated 27.11.2017, S.O.No.1393(E) dated 27.3.2018, S.O.No.5344(E) dated 12.10.2018, S.O.No. 1043(E) dated 22.02.2019, S.O.No.1860 (E) dated 27.05.2019, S.O.No.2099 (E) dated 19.06.2019, S.O.No.4352 (E) dated 04.12.2019 and S.O.No.1451(E) dated 8.5.2020, S.O. No. 1165(E) dated 10.03.2021, S.O. No. 2673(E) dated 02.07.2021, S.O.No.3258(E) dated 11.08.2021, S.O.No. 5477(E) dated 30.12.2021, S.O.No. 2650(E) dated 09.06.2022, S.O.No. 957(E) dated 28.02.2023, S.O.No. 4987(E) dated 17.11.2023, S.O. 2705(E) dated 11.07.2024 and S.O No. 2961(E) dated 24.07.2024